समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्याः 280
प्रश्नकर्ताः श्री विशेष रवि
दिनांकः 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि:–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि भव्य तरीके से शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बड़ी समस्या आ रही है;	चूंकि ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की प्रकिया अभी नई शुरू की गई है इसीलिये अभी इसे व्यवस्थित होने में थोडा समय लग रहा है । विभाग ने 31 जुलाई 2017 तक कुल 82391 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जिसमें से 59446 पूर्ण रूप से अपलोड किये गये आवेदन हैं । लगभग 22000 आवेदनों को प्रोसेस कर दिया गया है जिसमें से कुल 9305 आवेदनों को स्वीकृत कर पेंशन आवेदन प्राप्त करने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित कर दी गई है ।
(ख)	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 4 महीने पूर्व दिए गए पेंशन आवेदनों को विभाग अभी तक प्रोसेस नहीं कर सका है;	
ग)	क्या यह भी सत्य है कि नागरिकों को समुचित रूप से सूचित किए बिना बार–बार इस योजना के नियम बदले जा रहे हैं;	जी नहीं ।
(घ)	करोग बाग विधान सभा में अब तक कितने आवेदनों का सफलतापूर्वक प्रोसेस कर दिया गया है तथा कितने आवेदन कब से लंबित है; और	करोग बाग विधान सभा में दिनांक 31/07/2017 तक कुल 334 आवेदनों का सफलतापूर्वक प्रोसेस कर दिया गया है बाकी आवेदनों के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है एवं 200 आवेदन दस्तावेज अपलोड न होने के कारण अपूर्ण है । आवेदन पूर्ण होने पर ही विभाग उन आवेदनों पर कार्यवाही कर पायेगा ।
(च)	लंबित पड़े आवेदन कब तक सत्यापित कर स्वीकृत कर दिये जायेंगे?	

पंकज कुमार

Dy. Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002